न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0—25/2022 धारा—144 द0प्र0स0

रंजीत कुमार —बनाम— मुकेश प्र0 केशरी वगै0

तारिख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुरार दिनांक 27.01.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मौजा— ताजपुर, थाना—चौपारण,जिला—हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
87	1802	0.12 डी0	उ0— पींड द0— गोपाल सुण्डी पू0— बिहारी साहु प0— मसो0 पानु कुमारी

उभय पक्षों कि विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलिल से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी भूमि से संबंधित अपने—अपने कागाजात के आधार तथा प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने—अपने हक—हकियत का दावा कर रहे है,जो द0प्र0स0—144 के अन्तर्गत काई भी निर्णय किया जाना संभव नहीं है।

फलतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद कि कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 9/2/22

अनुमण्डल उपअधिकारी,
बरही, हजारीबाग

(हस्ताक्षर) 9/2/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 11:51:29 +05:30
Location: 192.168.1.41